

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(Swasthya Bhawan C-Scheme Jaipur)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/F-4 Pt-2(27659)/2024/ 295 दिनांक:- 13/6/24

—:आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)/वित्त/नियम/2008/दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.11(7) वित्त/नियम/पार्ट-1 दिनांक 6.10.2008 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग ऑफिसर/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान/एसीपी एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेंड/वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन श्रृंखला
1	रोशनी, नर्सिंग ऑफिसर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी शिवगंज (सिरोही)	17.10.2011	17.10.2020 9 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
2	भवर्दास, नर्सिंग ऑफिसर	बीसीएमओ बाली (पाली)	11.8.2009	11.8.2021 9 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
3	मीना कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर	सामु.स्वा.केन्द्र रायपुर (पाली)	22.6.2005	22.06.2023 18 वर्ष	लेवल-12	लेवल-13
4	ओमवीर सिंह, नर्सिंग ऑफिसर	सामु.स्वा.केन्द्र, कालन्दी	01.08.1990	01.08.2008 18 वर्ष	9300-34800 (ग्रेड-पे-3600)	9300-34800 (ग्रेड-4200)
5	रेखा देवी नर्सिंग ऑफिसर	सामु.स्वा.केन्द्र कवास (बाडमेर)	06.08.2005 म0स्वा0का0 12.08.2021 नर्सिंग ऑफिसर	06.08.2023 18 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
6	यशोदा राजपुत, नर्सिंग ऑफिसर	उम्मेद चिकि. जोधपुर	22.02.2005 म0स्वा0का0 27.12.2019 नर्सिंग ऑफिसर	22.02.2023 18 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
7	राम कंवर, नर्सिंग ऑफिसर	उम्मेद चिकि. जोधपुर	15.02.2005 म0स्वा0का0 13.12.2021 नर्सिंग ऑफिसर	15.02.2023 18 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12

उक्तानुसार कर्मचारियों के वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

क्र.सं. 2 पर अंकित कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के उपरान्त तीसरी संतान उत्पन्न होने के कारण एसीपी देय तिथि 11.8.2021 को देय है।

उक्त कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न हुई है, तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/F-4 Pt-2(27659)/2024/ 295
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
2. अधीक्षक, उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली

RajKaj Ref
7883422

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 13-06-2024 10:51:16